संख्या – 4463 दिनांक 18.10. 2016

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीकरण संख्या – 1459 / 2016–17

फाइल संख्या V - 13537

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि भगौती डेवलपमेण्ट सोसाइटी, त्रिलोचन बड़ागॉव, जलालपुर, जिला जौनपुर उ0प्र0

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या – 368 / 1991–92

दिनांक 11–09–1991 को दिनांक 10–09–2016 से पॉंच वर्ष की अवधि के

लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 /– रूपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 18–10–2016

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

Principal
Chandra...
Trilochan ... (U.P.)

Manager
Chandrabhan International Academy

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : **भगौती डेवलपमेन्ट सोसाइटी**
2. संस्था का पता : त्रिलोचन बड़ागाँव, जलालपुर, जिला–जौनपुर (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष
4. संस्था का उद्देश्य :

1. बच्चों को शैक्षिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक समुन्नति विकास करना।
2. छात्रों में व्यावसायिक, आर्थिक उत्थान एवं राष्ट्रीय जागृति के लिए समय–समय पर सम्मेलन या वाचनालय आदि का निर्माण करना।
3. महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई एवं जरी का प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था करना।
4. संस्था की उन्नति हेतु दान, अनुदान, चन्दे एवं शुल्क इत्यादि द्वारा संग्रह कर संस्था के कार्यों में लगाना।
5. समाज की सेवा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय की व्यवस्था करना।
6. संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं रचनात्मक संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।
7. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत अन्य सभी कार्यों को करना।
8. बालक/बालिकाओं के विकास के लिये नर्सरी, प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, महाविद्यालय तक के विद्यालय की स्थापना करना तथा उसका संचालन करना।
9. बालक/बालिकाओं के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, औद्योगिक, प्रौद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की जानकारी प्रदान हेतु संस्थान खोलना एवं उन्हें स्वय रोजगार दिलाने का प्रयास करना।
10. पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
11. पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम के अनुसार उनकी सहायता करना एवं उन्हें निःशुल्क मार्गदर्शन देना।

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसाइटी्स वाराणसी

Principal
Chandrabhan International Academy
Trilochan Bazar, Jaunpur (U.P.)

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
[redacted] मण्डल वाराणसी

प्रा...पि कर्ता ....
[redacted] कर्ता .... [redacted]

C.B.M. C.B.M.
अनिता सिंह
शीला सिंह
प्रभावती

12. निर्धन असहाय तथा मेधावी छात्र–छात्राओं को पुस्तकीय सहायता, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना एवं शिक्षण की व्यवस्था करना व प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

13. चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क सुविधा प्रदान कर लोगों को विभिन्न बिमारियों, जैसे–कैंसर, तपेदिक, मलेरिया, मोतियाबिन्द, एड्स, पल्स पोलियो, टीकाकरण तथा हेपेटाइटिस जैसे भयंकर बिमारियों के बारे में लोगों को जानकारी देना।

14. विकलांगों एवं नेत्रहीन लोगों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।

15. मद्यनिषेध, नशा उन्मूलन के प्रति जागरूकता लाना एवं उनके पुनर्वास एवं रोकथाम के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।

16. बालश्रम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके बालकों को शिक्षित करना।

17. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।

18. समाज कल्याण विभाग तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, सिफ्सा, कपाट, नाबार्ड, जिला ग्राम्य विभाग, नेड़ा, डूडा, सुडा, यूनिसेफ, यू.एन.डी.पी. विश्व स्वास्थ्य संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बाल एवं महिला कल्याण कार्यक्रमों का भागीदारी करना।

19. कृषि पैदावार को बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के शिविर प्रदर्शनी, प्रशिक्षण कार्यशाला एवं आयोजन तथा उच्च कोटि के बीजों का क्रय–विक्रय कर प्रदर्शन करना एवं उत्पादन करना।

20. समस्त समज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा एवं ग्राम्य सेवा का कार्य करना।

21. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।

22. कन्याओं की भ्रूणहत्या रोकने की दिशा में जागरूकता अभियान चलाना।

23. सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, नशा तथा दहेज प्रथा, धूम्रपान, जुआ तथा नशीली दवाओं का प्रयोग आदि के साथ–साथ समाज में फैले अन्धविश्वास, छुआ–छूत आदि रीति–रिवाजों को दूर करना।

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटी ... वाराणसी

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

C.B.S. C.B.S.

प्रतिलिपि कर्ता .... अनिता सिंह
मिलान कर्ता .... अनिता सिंह
प्रभारी

24. स्वयं सहायता समूह का गठन करना तथा असहाय निर्धन महिला श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्य करना एवं शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं में जागरूकता एवं उनके हक, अधिकर को दिलाना।

25. नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं का प्रबन्ध करना।

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता, पति का नाम, पता पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र.सं.	नाम पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्रीमती ममता सिंह पत्नी चन्द्रभान सिंह	ग्राम व पोस्ट–परियावां जिला जौनपुर	अध्यक्ष	गृहिणी/समाजसेवी
2	श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजमणि सिंह	ग्राम व पोस्ट–परियावां जिला जौनपुर	मंत्री	गृहिणी/समाजसेवी
3	श्री दिनेश कुमार सिंह पुत्र श्री राजमणि सिंह	ग्राम व पोस्ट–परियावां जिला जौनपुर	कोषाध्यक्ष	कृषि
4	श्री इन्द्रसेन सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह	ग्राम फत्तूपुर पोस्ट–महराजगंज जिला जौनपुर	सदस्य	कृषि
5.	श्रीमती अनीता सिंह पत्नी श्री इन्द्रसेन सिंह	ग्राम फत्तूपुर पोस्ट–महराजगंज जिला जौनपुर	सदस्य	कृषि
6	श्री दुर्गाबख्श सिंह पुत्र श्री राजमणि सिंह	ग्राम व पोस्ट–परियावां जिला जौनपुर	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्री राजमणि सिंह पुत्र भगौती सिंह	ग्राम व पोस्ट–परियावां जिला जौनपुर	सदस्य	कृषि
8	श्रीमती रीता सिंह पत्नी धीरज सिंह	ग्राम रामनगर, पो0–महराजगंज जिला जौनपुर	सदस्य	गृहिणी/समाजसेवी
9	श्रीमती प्रभावती पत्नी राजमणि सिंह	ग्राम व पोस्ट–परियावां जिला जौनपुर	सदस्य	समाजसेवा

5. हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता उपर्युक्त स्मृति–पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 21, सन् 1860 के अन्तर्गत [illegible] कराना चाहते है।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक–

हस्ताक्षर C.B.S. CBS

कृते सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता

अनीता सिंह
रीता सिंह
प्रभावती

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : भगौती डेवलपमेन्ट सोसाइटी
2. संस्था का पता : त्रिलोचन बड़ागाँव, जलालपुर, जिला–जौनपुर (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

संस्था की सदस्यता निम्नवत् होगी –

(अ) आजीवन सदस्य : संस्था की स्थापना के समय संस्था के कोष में 45,000/– रु० नकद अथवा चल व अचल सम्पत्ति के रूप में देने वाले व्यक्ति इस संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

(ब) सामान्य सदस्य : संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 5,001/– रुपया नगद धनराशि वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में देने वाले व्यक्ति इस संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे।

5. सदस्यता की समाप्ति : निम्नलिखित दशाओं में संस्था की सदस्यों की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी –

अ. किसी सदस्य की मृत्यु होने पर।

ब. किसी सदस्य के पागल या दिवालिया होने पर।

स. किसी अनैतिक अपराध में दण्डित होने पर।

द. संस्था के नियम विरुद्ध कार्य करने अथवा संस्था की सदस्यता से त्याग–पत्र देने पर।

य. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना दिये अनुपस्थित होने पर।

र. निर्धारित सदस्यता शुल्क आदि जमा न करने पर।

6. संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होंगे –

(अ) साधारण सभा

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

Principal
Chandrabhan International Academy
Trilochan Bazar, Jaunpur (U.P.)

7. साधारण सभा : साधारण सभा का गठन संस्था के सभी पदाधिकारियों को मिलाकर किया जायेगा।

(आलेखन प्रतिलिपि)

C.B. Singh CBS

अनिता सिंह

रीता सिंह

प्रतिलिपि

(ब) बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक अध्यक्ष की उपस्थिति में आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि : सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना आवश्यकतानुसार सभी सदस्यों को 24 घण्टे पूर्व दूरभाष (मौखिक) अथवा समय रहने पर लिखित रूप से दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति : संस्था के सभी सदस्यों के कम से कम दो तिहाई उपस्थिति में साधारण सभा की समस्त बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

(य) वार्षिक अधिवेशन : संस्था का वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष 15 अगस्त के अवसर पर नियमानुसार मनाई जायेगी।

(च) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

साधारण सभा के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे –

1. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विचार के लिये भेजे गये प्रस्तावों, मामलों आदि पर विचार करना।
2. संस्था की सामान्य नीति, उसके कार्यक्रमों तथा योजनाओं का निर्धारण करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करना।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन एवं परिवर्तन आवश्यक सुझाव के साथ स्वीकृति प्रदान करना।
5. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, आय–व्यय विवरण आदि को स्वीकार करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति :

(क) गठन : संस्था के अध्यक्ष, मंत्री, एवं कोषाध्यक्ष के अलावा छः सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा के बहुमत द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन कर लिया जायेगा।

(ख) बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक प्रत्येक छः माह पर वर्ष में दो बार तथा विशेष आवश्यकतानुसार बैठक मंत्री द्वारा किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि : सामान्य बैठक की सूचना बैठक के पाँच दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना आवश्यकतानुसार 24

Principal

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि

C.B. Singh

अनिता सिंह
रीता सिंह

प्रधानाचार्य, अध्यापक व अन्य कर्मचारी, पुस्तकालयाध्यक्ष प्रयोगशाला अध्यक्ष, चपरासी अथवा अन्य कर्मचारी की नियुक्ति करना, स्थायी करना तथा उनके द्वारा दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना व पदच्युत करना।

कोषाध्यक्ष

1. संस्था के आय–व्यय का हिसाब–किताब तैयार करना।
2. संस्था आय–व्यय के वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना।
3. मंत्री के आदेशानुसार समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा नियमानुसार संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

11. संस्था का कोष : संस्था के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में खाता खोलकर जमा की जायेगी, जिसमें संस्था को प्राप्त समस्त अनुदान, चन्दे एवं शुल्क आदि की धनराशि जमा की जायेगी, जिसके संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर किया जायेगा।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा-परीक्षण आडिट :

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में संस्था के मंत्री द्वारा ही संस्था के समस्त आय–व्यय के लेखों, रजिस्टरों एवं अन्य आवश्यक रसीद की आडिट की जायेगी।

13. संस्था द्वारा अथवा उनके विरुद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :

संस्था के द्वारा उसके विरुद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व मंत्री पर होगा।

14. संस्था के अभिलेख : संस्था के मुख्य रूप से निम्न अभिलेख होंगे –

अ. सदस्यता रजिस्टर

ब. कार्यवाही रजिस्टर

स. स्टाक रजिस्टर

द. कैशबुक आदि।

Principal
Chandrabhan International Academy
Trilochan Bazar, Jaunpur (U.P.)

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

C.B.S.

प्रतिलिपि कर्ता .... अनीता सिंह

मिलान कर्ता .... शीता सिंह

प्रभावती

C.B.S.
Manager

15. संस्था के विघटन : संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

~~सत्य प्रतिलिपि~~

दिनांक :

विनोद निगम

हस्ताक्षर
C.B.S.
अनिता सिंह
शीला सिंह
प्रभावती

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसाइटी ... वाराणसी के सहायक ...

सत्य प्रतिलिपि
9-9-13
उप सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी
9/9/13

प्रा० वि ...
मिलान ...

C.B.S.

Principal
Chandrabhan International Academy
Trilochan Bazar, Jaunpur (U.P.)

Manager
Chandrabhan International Academy
Trilochan Bazar, Jaunpur (U.P.)